राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 285 / 11 / 13

जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर

26.5.14

अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 979 अ 27/07--08 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.10.12 से परिवेदित होकर म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदकों के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये, उन्होंने बताया कि परिवार की संयुक्त भूमि के बटवारा का प्रकरण राजस्व मण्डल से प्रकरण कमांक 63/2/03 में पारित आदेश दिनांक 30–7–2002 से सभी पक्षों की सुनवाई के लिये एंव बटवारा करने के लिये लौटा था, किन्तु तहसीलदार पलेरा ने जानबूझकर सामिलाती सिंचाई का कुआ एंव सिंचाई के साधन की भूमि सर्वे नंबर 940,941,944,947, 946 आधी आधी न करके अनावेदकगण को देने में त्रृटि की गई, तथा पुरानी फर्दो का प्रकाशन कराकर बिना सहमति के बटवारा कर दिया, जब अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष अपील की गई, अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दि. 13.2.2008 से अपील निरस्त कर दी । अपर आयुक्त को वास्तविकता बताने के वाद भी उन्होंने अपील में पारित आदेश दि. 23.10.12 से अपील निरस्त करने में भूल की हैं उन्होंने आग्रह किया कि निगरानी के तथ्य अपने आप में स्पष्ट हैं इसलिये निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड मंगाया जावे

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने

निगरानी कमांक 285 / 11 / 13

दिनांक 22.6.2000 से बटवारा कर दिये जाने के बावजूद असंतुष्ट पक्षकारों को अपील/निगरानी राजस्व मण्डल तक प्रस्तुत की गई और बटवारे में 22–6–2000 से वर्ष 2014 तक का समय मुकदमेबाजी में व्यतीत हो चुका है। मामला राजस्व मण्डल से प्रकरण कमांक 63 / दो / 03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9–9–2002 से निराकृत होने के उपरांत तहसीलदार व्दारा वरिष्ठ न्यायालयों व्दारा दिये गये आदेशों के पालन में पक्षकारों को श्रवण कर प्रकरण कमांक 36 अ 27 / 97–98 में पारित आदेश दिनांक 18–6–2007 से बटवारा किया है,जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 13–2–08 से एंव अपर आयुक्त व्दारा अपील प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 23–10–08 से स्थिर रखा है एंव अपर आयुक्त ने तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी व्दारा निकाले गये निष्कर्षों को समवर्ती माना है, जिसके कारण तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 36 अ 27 / 97–98 में पारित आदेश दिनांक 18–6–2007 , अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 13–2–08 एंव अपर आयुक्त व्दारा अपील प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 23–10–08 के निष्कर्ष समरूप होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती हैं । पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति सहित वापिस कर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0 प्र0

1. गिरजा प्रसाद पाठक तनय गोकुल प्रसाद पाठक
2. द्वारका प्रसाद तनय गोकुल प्रसाद पाठक
3. बेवा देवरानीबाई पत्नी स्व. गोकुल प्रसाद पाठक
4. श्रीमति लालादती पुत्री स्व. गोकुल प्रसाद पाठक द्वारा उत्तराधिकारी द्वारका प्रसाद, गिरजा प्रसाद पाठक समस्त निवासियान ग्राम बलतपुरा तहसील व जिला पलेरा जिला टीकमगढ़ म.प्र.

...........निगराकारगण

बनाम

1. धरनीधर तनय स्व. मठोले पाठक
2. स्वामी प्रसाद तनय धरनीधर पाठक समस्त निवासियान ग्राम बलतपुरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ म.प्र.

...........प्रतिनिगराकारगण

3. म.प्र. शासन [राजस्व]

रिवीजन प्रतिकूल आदेश अधिनस्थ न्यायालय अपर संयुक्त आयुक्त सागर के अपील प्रकरण क्र. 979/अ-27/2007-08 आदेश दिनांक 23/10/2012 से व्यथित होकर ।

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959

महोदय,

निगराकारगण सादर निम्न प्रकार विनयी है ।

प्रकरण का संक्षिप्त सार:- यह कि प्रतिनिगराकार क्र. एक द्वारा धारा 178 म.प्र. भू. रा.सं. 1959 के अन्तर्गत अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पलेरा के यहाँ भू.ख.क्र. 940, 941, 944, 946, 947, 948, 949, 962, 963, 973, 974, 975, 942 रकबा 13 के बटवारा हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण क्र. 36/अ-27/97-98 आदेश दिनांक 28.6.07 को आदेश पारित किया जो विधि अनुकूल नहीं था जिससे व्यथित होकर निगराकारगणों ने क्र. 84/अ-27/2001-02 आदेश दिनांक 9/9/2002 अधिनस्थ अपर आयुक्त सागर के